कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुन्द, जिला महासमुन्द (छ.ग.)
Ph.No. 07723-224787, Fax No. 07723-224087, Email- districtcourtmahasamund@gmail.com

//विविध आदेश//

क्रमांक 07/एक-13-2/2006 **महासमुन्द, दिनांक 06/05/2026**

श्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली के अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 240 सरायपाली दिनांक 24/04/2026 के माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि उनके न्यायालय में लंबित विशेष दांडिक (NDPS Act) प्रकरण क्रमांक 44/2023 छ.ग. राज्य विरूद्ध अभिषेक देवता थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 73/2023 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का प्रकरण विचाराधीन है । उक्त प्रकरण में जप्तशुदा नाईट्रोजन आर 10 नशीली टेबलेट कुल वजनी 3000 मिलीग्राम या 03 ग्राम है ।

भारत के राजपत्र में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, अधिसूचना क्रमांक S.O. 1055(E) दिनांक 19 अक्टूबर 2001 अनुसार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में सारणी के स्तंभ 5 और 6 में उल्लेखित मात्रा को उस धारा को उक्त खंडो के प्रयोजनों के लिए क्रमश लघु मात्रा और वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्दिष्ट की गयी है, जिसमे उक्त प्रकरण में जप्तशुदा स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ Nitrazepam tablet को स.क्र. संख्या 221 के कॉलम 5 में अल्प मात्रा के रूप में 20 ग्राम एवं कॉलम 06 में 500 ग्राम को वाणिज्यक मात्रा के रूप में विनिर्निष्ट किया गया है , जो कि वाणिज्यक अल्प मात्रा से भी कम है, जो कि उक्त अधिनियम के धारा 20 के अनुसार विचारण का क्षेत्राधिकार उक्त न्यायालय को नहीं है ।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महासमुन्द के दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश दिनांक 01/04/2026 अनुसार थाना सिंघोडा के प्रकरणों का विचारण क्षेत्राधिकार कु. प्रगति गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली जिला महासमुन्द को आबंटित किया गया है।

अतः श्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली के अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली के अनुरोध पत्र क्रमांक 240 सरायपाली दिनांक 24/04/2026 को दृष्टिगत रखते हुए विशेष दांडिक (NDPS Act) प्रकरण क्रमांक 44/2023 छ.ग. राज्य विरूद्ध अभिषेक देवता थाना सिंघोडा के अपराध क्रमांक 73/2023 अंर्तगत धारा 21(क) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा -448 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु कु. प्रगति गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली के न्यायालय में अंतरित किया जाता है ।

06.05.2026

(अनिता डेहरिया)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 1853 /एक–13–2/2006 महासमुन्द, दिनांक 06/05/2025

प्रतिलिपि–

1. श्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सरायपाली के अतिरिक्त न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश NDPS सरायपाली को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें एवं संबंधित पक्षकार एवं उनके अधिवक्ता को संसूचित करना सुनिश्चित करें।
2. कु. प्रगति गुर्दे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सरायपाली
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ सरायपाली
4. सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग महासमुन्द

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
महासमुन्द (छ.ग.)